A 47

(रजि० न०–एस–54111)

# आवासीय कल्याण समिति

बी–153, जैतपुर विस्तार भाग–2, (खड्डा कालोनी)
बदरपुर, नई दिल्ली–110044

---

पत्रांक............

दिनांक 11–11–11

मो0 ईशा (प्रधान)
9873495443
9811156097

OFFICE OF UDM
Dy. No. 4012
Date 18/11/11

श्री कमलनाथ जी,
माननीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषयः– मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा जैतपुर विस्तार भाग–2 1639/890 को ओ जोन में दर्षाने के संदर्भ में।

श्रीमानजी,

इस पत्र के द्वारा आपसे विनती करना चाहता हूँ कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में हमारी कालोनी को ओ जोन में दर्शाया गया हैं, जो कि गलत है। ओ–जोन का दायरा यमुना नदी की धारा से 300 मीटर तक होता है। हमारी जैतपुर विस्तार भाग–2 वर्ष 1989 से भी ज्यादा पुरानी कालोनी है व दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कालोनियों की सूची में दर्ज है, व हमारी कालोनी यमुना नदी से 300 मीटर के दायरे से बाहर है इसीलिये हम लोग ओ जोन के दायरे में नहीं आते है

अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कृपया हमारी कालोनी जैतपुर विस्तार भाग–2 को ओ जोन से निकालकर एफ जोन में डालने की कृपा करे। हम आपके सदैव आभारी रहेंगें।

PS to UDM

आपका आज्ञाकारी,
md. Isha
(मौ. ईशा)
अध्यक्ष

Secretary UD

प्रतिलिपीः–
1– माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली
2– माननीय उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण
3– माननीय निदेषक (योजना) एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण
4– माननीय आयुक्त, दिल्ली नगर निगम
5– माननीय मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार
6– श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली।

md. Isha
मो0 ईशा (प्रधान)
आवासीय कल्याण समिति (रजि०)
बी-153, जैतपुर विस्तार भाग-2
बदरपुर नई दिल्ली-110044